हरद्विार में गंगा घाटों पर प्लास्टकि वस्तुओं की बकि्री पर रोक

चर्चा में क्यों?

12 अप्रैल, 2022 को हरद्विार नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती की अध्यक्षता में नरि्णय लयिा गया कि 25 अप्रैल से हरद्विार स्थति गंगा घाटों पर प्लास्टकि वस्तुओं की बकि्री नहीं की जाएगी।

प्रमुख बदि

- प्लास्टकि वस्तुओं पर रोक के पश्चात् घाटों पर हस्तनरि्मति कपड़े तथा जूट की चटाई के साथ प्लास्टकि कैन की जगह बाँस, तांबा व काँच की बोतल की बकि्री की जाएगी।
- यह बकि्री दीनदयाल अंत्योदय योजना तथा राष्ट्रीय शहरी आजीवकिा मशिन के तहत गठति महलिा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से की जाएगी।
- गौरतलब है कि राष्ट्रीय शहरी आजीवकिा मशिन वर्ष 2013 में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा प्रारंभ कयिा गया था, जसिके अंतर्गत शहरी गरीबों को सशक्त आधारभूत स्तर की संस्थाओं में संगठति करने, कौशल वकिास के लयिे अवसर सृजति करने पर ज़ोर दयिा जाता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/ban-on-sale-of-plastic-items-at-ganga-ghats-in-haridwar